प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 02.01.2024

कूटरचना कर धोखाधड़ी करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के नेतृत्व में उ0नि0 रामानुज सिंह यादव मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 185/2020 धारा 419/420/467/468/471 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त जुबेर अहमद पुत्र स्व0 नादिर शाह निवासी विंध्यवासिनी नगर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी मुकदमा द्वारा दिनांक 15/05/2008 को अभियुक्त को एक इकरारनामा किया गया था जिसमें 03 माह में अभियुक्त द्वारा बैनामा करा लेने हेतु स्पष्ट लिखा गया था। समय सीमा बीतने के पश्चात अभियुक्त द्वारा झूठे व निराधार तथ्यों के आधार पर मा0 न्यायालय गोरखपुर में वाद पंजीकृत कराया गया तथा इकरारनामा के अंतिम पृष्ट पर कूटरचना करते हुए वादिनी के पुत्र को 07 लाख 06 हजार देने की बात कहकर हस्ताक्षर बनाया गया था। जिसके संबंध में प्राप्त आईजीआरएस में जाँचोपरान्त मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता -

जुबेर अहमद पुत्र स्व0 नादिर शाह निवासी विंध्यवासिनी नगर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 185/2020 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 रामानुज सिंह यादव चौकी प्रभारी कलेक्ट्रेट थाना कैण्ट गोरखपुर।
2. का0 रवीन्दर कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर